

sound. We are going from country to country for aid. Our missions abroad are always trying to get more and more loans from other countries. We are not sure about the implementation of our plans.

We want to co-exist with all. How can that be? Different ideologies cannot co-exist. The capitalists should give up the exploitation of lower class people and the communist countries should do away with the dictatorial trends. There should be a socialistic approach to all problems. It is only then that co-existence can be achieved.

I feel that our Government's internal policy has utterly failed and its external policy has also badly failed. With these words I disapprove of this policy.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and the Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): Our policy in regard to Vietnam and West Asia has been made clear many a time and at so different places like the U. N. O. Our stand on these vital issues is the same as already announced.

Here in this House many points are raised by one party and replies to them are given by another party. It becomes easy for my party to reply thereafter. Shri Masani has raised some points but those have already been discussed here.

We are not aware that Russia has changed its policy in regard to Kashmir question. It has become a fashion to say this thing.

हमारा सदैव यह पक्ष रहा है कि न्याय का साथ दिया जाये। यह कहा गया है कि कुछ विषयों पर हम बहुत जोर देकर बोलते हैं जबकि कुछ विषयों के बारे में हम चुप रहते हैं। हम अपने देश के हित को ध्यान में रखकर काम करते हैं और यह चाहते हैं कि जिस बात से समस्याओं का समाधान हो सके वही बात की जाये।

हमने इजराइल को मान्यता दी हुई है जिस प्रकार कि यह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। परन्तु जर्मन गणराज्य संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। फारमोसा की स्थिति भी भिन्न है। जब बड़े देश चीन को मान्यता दे दी गई है तो एक छोटे से द्वीप की सरकार को इसके स्थान मान्यता नहीं दी जा सकती। हम केवल एक चीन को मान्यता देते हैं। यह ठीक है कि हमारे देश के बहुत से लोग फारमोसा जाते हैं। और हम उनको अनुमति भी देते हैं।

हमारी विदेश नीति किसी प्रकार के सिद्धान्तों से बंधी हुई नहीं है। हम वास्तविक स्थिति का निरन्तर ध्यान रखते हैं। जब कभी कोई घटना होती है तो उसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है और उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जाती है। हां कुछ मूल सिद्धान्तों का ध्यान अवश्य रखा जाता है। हमारी नीति न्याय और स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों पर आधारित है। हमें अपनी नीति निर्धारित करते समय सभी पहलुओं पर विचार करना होता है।

हम चीन और पाकिस्तान के साथ मित्रता चाहते हैं परन्तु हम देश के आत्म सम्मान को त्याग नहीं सकते। यह आवश्यक नहीं कि सरकार सभी बातों को बता नहीं सकती। हमें यहां पर होने वाली चर्चा से बहुत लाभ होता है।

स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ पहले विदेशी मामलों पर एक समान सोचते थे। परन्तु अब उनमें कुछ अन्तर मालूम होता है। जैसे श्री मसानी ने सोवियत रूस की मित्रता पसन्द नहीं किया परन्तु श्री सोंधी ने रूस की मित्रता पर बल दिया है। काश्मीर समस्या के बारे में हमारे पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा रहा है और हम इस बारे में किसी के दबाव में आने वाले भी नहीं हैं।

मेरी विदेश यात्रा के दौरान मेरे कुछ वक्तव्यों की आलोचना की गई है। इस बारे में हमारा पक्ष अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। अब उसे दुहराने से कोई लाभ नहीं है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बहुत से मामलों में पहल की है। सुरक्षा परिषद् में अफ्रीकी-एशियाई सदस्यों की संख्या भारत के प्रयत्नों के फलस्वरूप बढ़ी है। पश्चिमी एशिया में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ के भेजे जाने में भी भारत का बहुत योगदान है। कुछ माननीय सदस्यों ने मांग की है कि भारत को देशों का नेतृत्व लेना चाहिये। ऐसी बात करने से अन्य देशों में गलतफहमी हो सकती है। हम सभी देशों के आर्थिक और राजनैतिक रूप में सुदृढ़ बनने के इच्छुक हैं। हम किसी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हम सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास रखते हैं।

श्री सोंधी ने कहा है कि विदेश सेवा में भाई-भतीजावाद बहुत अधिक है। इस बारे में पहले भी जांच हो चुकी है। यदि कोई विशेष मामला मेरे ध्यान में लाया जाये तो जांच हो सकती है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों

सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

अठारहवां प्रतिवेदन

Shri Ramavtar Shastri : Sir, I beg to move :

“that this House agrees with the Eighteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 20th December, 1967.”

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से जो 20 दिसम्बर, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted